न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौंली जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण मीना आर.ए.एस

वाद पत्र संख्या –65/19

1. रतनलाल आजाद पुत्र रामनारायण जाति ब्राहमण उम्र 75 निवासी पीपलदा तहसील बौंली जिला स0मा0

.....वादीगण

बनाम

1 श्री मटटू पुत्र कन्हैयालाल
2. श्री गंगाराम पुत्र कन्हैयालाल
3. श्री रामजीलाल पुत्र रामदेवा समस्त जाति माली निवासी पीपलदा तह. बौंली जिला स. मा.

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री राघवेश शर्मा एडवोकेट, वादी की ओर से

प्रतिवादी :– श्री नरेन्द्र कुमार गोयल प्रतिवादी की ओर से

आदेश

दिनांक 22.9.22

प्रतिवादी की ओर से यह प्रर्थना पत्र आडर 7 रूल 11 cpc दिनांक 25.07.2022 को इस आशय का पेश किया कि वादी ने अपने दावे में यह अंकन नहीं किया कि वादकरण कब पेदा हुआ। दावा किस कानून के तहत पेश किया एवं तहसीलदार बौली (लैण्ड होल्डर), जो कि आवश्यक पक्षकार है, उसे पक्षकार नहीं बनाया गया। इस कारण वादी का दावा आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया के तहत चलने नहीं होने के कारण निरस्त किया जावें।

वादी की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा मौखिक बहस में निवेदन किया वादपत्र के मद नम्बर 5 में वाद हेतुक उत्पन्न होना स्पष्ट रूप से साबित है, जहॉ तक धाराओं का अंकन है, वह अनुतोष के अनुसार पढी व समझी जा सकती है

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का विधिवत सीमाज्ञान व पथ्थरगाढी करवाने हेतु आवेदन किया था जिस पर श्रीमान तहसीलदार महोदय बौंली के

तहसीलदार फॉर्मल पक्षकार है तथा वाद बैदखली का है, इस कारण पक्षकार बनाना अनिवार्य नहीं है।

बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया हमने वादपत्र का मद नम्बर 5 के अवलोकन किया, अवलोकन से जाहिर होता है कि दिनांक 03.11.2019 को वादी अपने खेत पर गया ओर प्रतिवादी से कब्जा हटाने को कहा लेकिन प्रतिवादी ने कब्जा हटाने से इंकार किया। इस कारण वाद उत्पन्न होना प्रथम दृष्टया सिद्ध पाया गया। वादी की ओर से दावे में चाहे गये अनुतोष बेदखली बाबत है जिसमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि भूमि के लिए न्यायालय आजा को अनुतोष प्रदत्त करने की शक्तियॉ प्राप्त है इसलिए वाद मे धारा लिखना व न लिखने के आधार पर आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी प्रभावी नही होती है। तहसीलदार के खिलाफ वादी ने कोई अनुतोष नही चाहा लेकिन इस बिन्दू को तनकियात विरचित कर मेरीट पर निर्णीत किया जाना उचित है। अतः तनकी संख्या 9 प्रथक से सृजित की जाती है।

9. आया वादी ने अपने वाद में तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) बौंली को पक्षकार नही बनाया इसका वाद पत्र क्या प्रभाव होगा।

.... प्रतिवादी

उक्त विवेचना के अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आर्डर 9 रूल 11 सीपीसी सारहीन है। अतः खारिज किया जाना उचित है।

कलेक्टर ★ माधोपुर जिला सवाई

बद्री नारायण मीना
उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर
उप जिला कलेक्टर
बौंली(स.मा.)

निर्णय आज दिनांक 22.08.2022 को निवृत न्यायालय मे लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित है उचारित किया गया।

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर
उप जिला कलेक्टर
बौंली(स.मा.)

द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का विधिवत सीमाज्ञान व पथ्थरगढी करवाने हेतु आवेदन किया था जिस पर श्रीमान तहसीलदार महोदय बौंली के